



राजस्थान सरकार
कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर, (जोधपुर)
जिला - जोधपुर
जाति प्रमाण - पत्र



क्रमांक: RJ/2017/राजस्थान विधान/जाति का प्रमाण-पत्र (अ.जा./अ.न.जा.)/20309065978

दिनांक: 11-11-2020

आवेदक का आधार नम्बर :

आवेदक/परिवार के मुखिया का नामावाह कार्ड संख्या :

प्रमाणित किया जाता है कि श्री धीरेन्द्र कुमार पुत्र/पुत्री श्री सुरेश्वराम गांव/नगर खटीको का मोहन्ला घड़ा बास, महामंदिर, जोधपुर जिला/डिवीजन जोधपुर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र राजस्थान में 36 KHATIK (36 खटीक) जाति/समुदाय का/की है जिसे निम्नलिखित के अनुसार अनुसूचित जाति के रूप में मान्यता दी गई है-

संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1950, संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश 1950, संविधान (अनुसूचित जाति) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश 1951, संविधान (अनुसूचित जनजाति) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश 1951, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति सूचिका (संशोधन) आदेश 1956, बम्बई पुनर्गठन अधिनियम 1960, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1970, उत्तर पूर्वी क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम 1976 द्वारा क्या संशोधित संविधान (अन्य व काशी) अनुसूचित जाति आदेश 1950, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा क्या संशोधित संविधान (अदम्य तथा निरीक्षण द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति आदेश 1959, संविधान (दार्द्र तथा नागर हुजेबी) अनुसूचित जाति, आदेश 1962, संविधान (दार्द्र तथा नागर हुजेबी) अनुसूचित जनजाति, आदेश 1962, संविधान (संशोधन) अनुसूचित जाति आदेश 1964, संविधान अनुसूचित जनजाति (उत्तर प्रदेश) आदेश 1967, संविधान (मोजा, दमन तथा दीम) अनुसूचित जाति आदेश 1968, संविधान (मोजा, दमन तथा दीम) अनुसूचित जनजाति आदेश 1968, संविधान (नागालैण्ड) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970

श्री धीरेन्द्र कुमार गांव/नगर खटीको का मोहन्ला घड़ा बास, महामंदिर, जोधपुर जिला / डिवीजन जोधपुर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र राजस्थान में समान्यतया रहता / रहती है।

नोट

1. यहाँ प्रयोग साधारणतः किसानों का अर्थ नहीं होता जो कि प्रतिनिधित्व 1950 की धारा 20 में है।
2. राजस्थान सरकार के सामानिक न्याय अधिकारिता विभाग की अधिसूचना सं.एफ.21(37) एच.जे.ई./समय/ई.सी./08-09/73710 दिनांक 30/12/2010 के द्वारा जाति प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु डिजिटल हस्ताक्षर के उपयोग की मान्यता प्रदान की गयी है।
3. उपरोक्त प्रमाण-पत्र डिजिटल द्वारा उत्पन्न कराये गये हैं- दस्तावेजों के आधार पर जारी किया गया है। दस्तावेजों की प्रामाणिकता के सम्बन्ध में कोई विवाद होने पर प्रमाण-पत्र खारिज किया जा सकता है।
4. प्राप्ति द्वारा प्रस्तुत किये गए मूल आवेदन पत्र एवं सम्बंधित दस्तावेजों को जिन के सम्बंधित प्रत्येक अधिकारी विशिष्ट हस्ताक्षर में यह जारी किया जायेगा के कार्यालय में निरीक्षण/रीक्षण के लिए उपलब्ध होने।
5. यह प्रमाण-पत्र डिजिटल हस्ताक्षरित है। अतः सभी कार्यों के विषे मान्य है।
6. प्राप्ति को जारी किये गये प्रमाण-पत्र का सत्यापन www.emitra.rajasthan.gov.in पर स्थित ONLINE VERIFICATION SECTION में Online सत्यापन किया जा सकता है। टोलन संख्या - 200321680542

- उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर, जोधपुर

Signature valid

Digitally signed by
HANUMAN SINGH
RATHORE

Date: 2020.11.11 17:21:27

+05:30

Reason: Approved

Location: Rajasthan

